

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 187]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 23 अप्रैल 2014—वैशाख 3, शक 1936

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2014

क्र. एफ ए 3-03-2014-1-पांच (16).—मध्यप्रदेश वेत (संशोधन) अधिनियम, 2014 (क्रमांक 9 सन् 2014) की धारा 1 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, दिनांक 23 अप्रैल 2014 को इस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 से 5, 7 और 8 के उपबंध प्रवृत्त होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामेश्वर मिश्र, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2014

क्र. एफ ए 3-03-2014-1-पांच (16).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-03-2014-1-पांच (16), दिनांक 23 अप्रैल 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामेश्वर मिश्र, उपसचिव.

Bhopal, the 23rd April 2014

No. F-A 3-03-2014-1-V (16).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of Section 1 of the Madhya Pradesh Vat (Amendment) Act, 2014 (No. 9 of 2014), the State Government, hereby, appoints the 23rd April 2014 as the date on which the provisions of Sections 3 to 5, 7 and 8 of the said Act shall come into force.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESHWAR MISHRA, Dy. Secy.